प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर........ थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर..... वर्ष 2023......
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या............... 183/2023 दिनांक 13/7/2023

2. **(I) अधिनियम**....धारायें:–7, 7ए व 11 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(II) अधिनियम ....भा0दं0सं0......................धारायें ....120बी.................................
(III) अधिनियम .... धारायें ....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. **(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या** 728......... **समय** 2:30pm
(ब) अपराध घटने का वार.....मंगलवार.....दिनांक 11.07.2023 **समय 02**.55 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 27.06.2023

4. **सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक**– लिखित

5. **घटनास्थल :**– राजस्थान विश्वविधालय के सामने की सड़क, जनता स्टोर, जयपुर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब पश्चिम–उत्तर दिशा में करीब 3 कि0मी0
(ब) पता राजस्थान विश्वविधालय के सामने की सड़क, जनता स्टोर, जयपुर।
..............................बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ....**जिला** ....

6. **परिवादी / सूचनाकर्ता :**–
(अ) **नाम:**– श्री नीलकमल शुक्ला
(ब) पिता/पति का नाम:– श्री श्याम बिहारी
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष............उम्र 54 साल...................
(द) राष्ट्रीयता:– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या:– जारी होने की तिथि ....**जारी होने की जगह** ....
(र) व्यवसाय:– सिंधु सोसायटी संचालक
(ल) पता:– मकान नम्बर 1434, क–1, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर।

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –**
1 श्री देशराज यादव पुत्र श्री रामजी लाल यादव, उम्र 52 साल, जाति यादव, निवासी मकान नम्बर–15, सरस्वती नगर–ए, मालवीय नगर, जयपुर हाल उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर शहर, मिनीसचिवालय, जयपुर
2. श्री अरूण प्रताप सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, जाति राजपूत, उम्र 50 साल, निवासी फ्लेट नम्बर–808, आशियाना ग्रीनवुड अपार्टमेंट, सीबीआई फाटक के सामने, जगतपुरा जयपुर हाल निरीक्षक, सहकारी समितियां, कार्यालय रजिस्ट्रार–संस्थाए, सहकारी समितियां, देवनगर, टोंक रोड़, जयपुर

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण**

9. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**
रिश्वती राशि 5,00,000/–रूपये

10. **चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य :**– रिश्वती राशि 5,00,000/–रूपये।

11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** ....

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–**

परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला का प्रार्थना पत्र श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर पृष्ठांकन कर परिवादी व साथ आये व्यक्ति से परिचय करवाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया। परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि निवेदन है कि मैं सिन्धु नगर को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ, जिसका कार्यालय बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग चॉदपोल बाजार में स्थित है एवं यह मेरा निवास स्थान भी है। मैने एक व्यवसायिक परिसर जरिये राधा गोविन्द कॉलोनाइजर्स को ऑपरेटिव विभाग से पूर्व डाक घर के नाम से पंचवटी सर्किल के पास गली नं. 1 (एक) में राजा पार्क में नियमानुसार किराये पर ले रखा है, जिसका नियमानुसार किराया मैं जरिये राधा गोविन्द कालोनाईजर्स जमा करवाता रहता हूँ।उक्त परिसर के सम्बन्ध में एक वाद व अपील कॉपरेटिव ट्रिबनल कोर्ट में लम्बित है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा मेरे पक्ष में यथास्थिति का आदेश पारित किया हुआ है। दिनांक 23.06.2023 को उप रजिस्ट्रार शहर देशराज यादव मेरे पास राजा पार्क पंचवटी सर्किल स्थित कार्यालय पर आये और मुझसे रिश्वत की मांग की, बोले 3,00,000 (तीन लाख) रूपये दो। सोसाईटी चलाने के लिए एवं 10,00,000 (दस लाख) रूपये इस डाकघर कार्यालय को खाली नहीं करवाने के एवज में देने होंगे। उन्होंने कहा मुझे भी उपर सभी को पैसे देने होते है। मैंने इतने पैसे देने में असमर्थता जाहिर की तो (DR साहब) उन्होंने कहा कि यह तो आपको देने ही पडेगे मुझे उपर पैसे देने रहते है। मैंने पुनः असमर्थता बताई तो उन्होंने मुझे नतीजा भुगताने के लिए तैयार रहने का कह कर चले गये। उसके बाद अगले दिन दिनांक 24.06.2023 को सुबह 8.30बजे जब मैं मंदिर गया हुआ था तभी एक साथ मेरे घर बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग व ऑफिस राजा पार्क में अलग अलग टीमों के साथ छापा डाला गया एवं गैर कानूनी तरीके से दोनों जगहों पर ताला तोड़कर अंदर घुस गये एवं मुझे व मेरे परिवार वालों को डराने धमकाने लगे। ओर मुझसे तेरह लाख रूपये की डिमाण्ड की। मैं मेरे परिवार वालों को डराने व धमकाने से बहुत अधिक डर गया था। मैंने अपने परिचित के मार्फत 5,00,000 (पांच लाख) रूपये DR साहब के पास भिजवाये, तथा 5,00,000 (पांच लाख) रूपये बाद में देने को कहा। इसके बाद छापा डालने वाली टीम राजापार्क स्थित कार्यालय के दो कमरों को सीज करके चली गई। अब उप रजिस्ट्रार देशराज यादव, कार्यालय के कमरों के सीज खोलने व मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने के एवज में 5,00,000 (पांच लाख) रूपये मांग रहें है। मैं अब उनको ओर रिश्वत की राशि नहीं देना चाहता तथा उन्हें रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कृपया इस मामले में कार्यवाही करने की कृपा करें।" आदि पर अपने कार्यालय कक्ष में लाकर परिवादी से मजीद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्तलेख से लिखा होना बताकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला को पूछने पर यह भी बताया कि मेरी श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार साहब से किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है एवं ना ही हमारे बीच कोई रूपयों का लेन देन बकाया है एवं परिवादी ने बताया की मैंने एक प्रोपर्टी पंचवटी सर्किल पर राजा साहब शोरूम के सामने स्थित है जो करीब 800 वर्गगज की है जो मैंने वर्ष 2006 से किराये पर ले रखी है जिसका मैं नियमित किराया देता आ रहा हूँ। उक्त सम्पति के सम्बन्ध में एक अपील न्यायालय कॉपरेटिव ट्रिब्यूनल में लम्बित है जिसमें मेरे हक में न्यायालय द्वारा यथा स्थिति का आदेश पारित किया हुआ है जिसको श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार येनकेन प्रकरेण खाली करवाकर किसी अन्य को देकर धन लाभ अर्जित करना चाहते हैं तथा इस को खाली करने की एवज में श्री देशराज यादव ने मुझे 50 लाख रूपये का ऑफर भी दिया था। उक्त रूपये लेने से मेरे द्वारा मना करने पर श्री देशराज यादव जी द्वारा द्वेष की भावना से मेरे कार्यालय पर सीजर की कार्यवाही से मुझे मुक्त करने के लिए 5 लाख रूपये मांग रहे हैं तथा मुझे 50 लाख रूपये देकर बिल्डिंग खाली करने की कह रहे हैं। परिवादी ने बताया कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने मुझे कहा है कि आप दिनांक 28.06.2023 को मेरे कार्यालय में आकर छापे की कार्यवाही के दौरान सीज किये गये कमरों को खोलने के लिए एक प्रार्थना पत्र पेश कर देना। इसलिए मैं कल दिनांक 28.06.2023 को प्रार्थना पत्र पेश करने जाउंगा तब उप रजिस्ट्रार श्री देशराज यादव मुझ से रिश्वत के संबंध में वार्ता कर सकते है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः परिवादी की शिकायत पर ट्रैप कार्यवाही से पूर्व रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है।

दिनांक 27.06.2023 को मन निरीक्षक पुलिस ने श्री देवेन्द्र कानि0 334 को अपने कक्ष में बुलाया तथा मेरे समक्ष बैठे परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में बताया। चूंकि परिवादी ने मजीद पूछताछ पर बताया है कि उसे कल दिनांक 28.06.2023 को संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी की सीजशुदा कमरों को खोलने के लिए

प्रार्थना पत्र लेकर बुलाया है। इस लिए परिवादी को समझाईश की गई कि वो संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय में जाकर उससे सम्पर्क करने से पूर्व मन निरीक्षक पुलिस के पास एसीबी कार्यालय में उपस्थित आये, जिससे रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जा सके। परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाए रखने की समझाईश कर रवाना किया गया। दिनांक 28.06.2023 को परिवादी के कार्यालय में उपस्थित आने पर उसे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर दिया जाकर उसके संचालन की प्रकिया समझाकर श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 334 को गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के लिए साथ भेजा, लेकिन संदिग्ध अधिकारी श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में नहीं मिलने से वापस आ गये। इसके बाद पुनः दिनांक 30.06.2023 को भी श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 334 को डीवीआर देकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती मांग सत्यापन के लिए भेजा गया लेकिन सदिग्ध अधिकारी के कार्यालय नहीं आने से वार्तालाप नहीं हो सकी, इसके बाद दिनांक 03.07.2023 को श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 334 को डीवीआर देकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती मांग सत्यापन के लिए भेजा गया लेकिन सदिग्ध अधिकारी के कार्यालय नहीं आने से वार्तालाप नहीं हो सकी। इस पर पुनः दिनांक 04.07.2023 को श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 334 को डीवीआर देकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती मांग सत्यापन के लिए भेजा गया जहां से संदिग्ध अधिकारी से वार्तालाप होने पर परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी ने बताया कि मैंने आज श्री देशराज डीआर साहब से सम्पर्क कर मेरे कमरों की सील खोलने के संबंध में बातचीत की। श्री देशराज डीआर साहब ने कहा कि आपके कमरो की सील खोल देंगे, थोडे दिन इंतजार करो। मैंने डीआर साहब को कहा कि मैंने सील खोलने की एप्लीकेशन आपके ऑफिस में स्टाफ को दे दी है तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अरूण जी से मिल लेना। इसके बाद मैं कमरे से बाहर आ गया एवं श्री अरूण प्रताप जी को 04.35 पीएम पर उनके मोबाइल नम्बर 98294–22213 पर मेरे मोबाइल नम्बर 94140–53732 से व्हाट्सएप्प कॉल किया लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बंद करके श्री देवेन्द्र सिंह जी को दे दिया। कुछ समय बाद 04.58 पीएम पर श्री अरूण प्रताप जी का मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया जिस पर श्री देवेन्द्र सिंह जी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू किया तथा मुझे मोबाइल का स्पीकर ऑन करके बात करने के लिए कहा जिस पर मैंने अरूण जी का कॉल रिसीव कर मोबाइल को स्पीकर मोड पर लेकर वार्तालाप की। श्री अरूण प्रताप जी को मैंने कहा कि मैं अभी डीआर से मिला हूं उन्होंने मेरे ऑफिस की सील खोलने के संबंध में आपसे बातचीत करने के लिए कहा है। इस पर श्री अरूण प्रताप ने कहा कि अपन एक दो दिन में मिल कर बात कर लेंगे। उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। इसके बाद हम दोनों ऑफिस आ गये। परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला ने यह भी बताया कि श्री अरूण प्रताप को मैं जानता हूं क्योंकि मेरे आफिस को सील करने वाली टीम में अरूण प्रताप जी भी थे। आफिस सील होने के बाद मौके पर रिकॉर्ड जब्त नहीं करने के एवज में पूर्व में 15–20लाख रूपये मांगे थे तथा पूर्व में मेरे द्वारा जो 5,00,000/–रूपये मेरे परिचित के माध्यम से डीआर साहब के लिए दिये गये थे ये रूपये भी अरूण प्रताप जी ने परिचित के माध्यम से अपने जानकार को दिलवा कर उससे स्वयं ने प्राप्त किये थे। इसके बाद दिनांक 05.07.2023 को संदिग्ध अधिकारी श्री देशराज यादव के कहेनुसार श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता के लिए परिवादी को डीवीआर सुपुर्द कर उसके साथ श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 334 को श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक के कार्यालय देवनगर टोंक रोड़ जयपुर के लिए रवाना किया। बाद सत्यापन परिवादी एवं देवेन्द्र सिंह, कानि0 कार्यालय में उपस्थित आये एवं परिवादी ने डीवीआर सुपुर्द करते हुए बताया कि मैंने श्री अरूण प्रताप जी को मेरे मोबाईल नं.94140–53732 से अरूण प्रताप जी के मोबाईल नं.98294–22213 पर स्पीकर ऑन कर कॉल किया। श्री अरूण प्रताप जी ने मुझे संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय पास कैफे के पास मिलने के लिए कहा उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तथा रिकॉर्डर को चालू हालात में मेरी जेब रख लिया। मैं वहीं पर श्री अरूण प्रताप जी का इन्तजार करने लगा तथा श्री देवेन्द्र सिंह कानि.भी वहीं पर अपनी उपस्थित छिपाते हुए मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात् श्री अरूण प्रताप जी देवनगर मोड पर स्थित कैफे के आगे आकर मेरे से मिला तथा मुझे अपने साथ कैफे में ले गया। जहां मैंने अपने आफिस के कमरों की सील खोलने के संबंध में बातचीत की। बातचीत के दौरान ही मैंने अरूण जी को कहा कि बाजार में यह बात फैल रही है कि आपने व डीआर साहब ने मेरे से सील खोलने के बीस लाख रूपये मांगे, इस पर अरूण जी ने कहा कि हां बीस की बात हो रही है लेकिन अपनी तो बात पन्द्रह में तय हुई थी। इसके बाद श्री अरूण प्रताप जी ने कहा कि आप, मैं एवं डीआर साहब एक दिन शनिवार–रविवार को साथ बैठकर बात करेंगे कि अपने को आगे क्या करना है। उक्त वार्तालाप डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद श्री अरूण जी चले गये तथा मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बंद करके श्री देवेन्द्र सिंह जो को दे दिया तथा उसे साथ लेकर एसीबी कार्यालय आ गये। परिवादी द्वारा पेश डीवीआर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। चूंकि परिवादी से संदिग्ध अधिकारी श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक ने बातचीत

में रिश्वत राशि के संबंध में संदिग्ध उप रजिस्ट्रार श्री देशराज यादव के साथ मीटिंग कर बातचीत करना तय हुआ है। जिसके लिए परिवादी को आईन्दा संदिग्ध अधिकारी श्री अरूण प्रताप सिंह द्वारा मीटिंग तय करने पर मन निरीक्षक पुलिस को अवगत कराने की समझाईश कर रवाना किया। दिनांक 8 व 9 को परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी के मध्य मोबाइल पर वाट्सअप कॉलिंग पर वार्ता हुई पर मीटिंग नहीं हो सकी। दिनांक 10.07.2023 को परिवादी एवं श्री अरूण प्रताप सिंह के मध्य हुई वार्ता में संदिग्ध अधिकारी श्री देशराज यादव के वी.सी. उपरांत जेडीए जाना तथा जेडीए से निकलने पर मीटिंग करने का कहा जाने पर परिवादी द्वारा मन निरीक्षक पुलिस से जरिये मोबाइल सम्पर्क कर उक्त बात बताई तथा संदिग्ध अधिकारियों से होने वाली मीटिंग में तख्तेशाही रोड पर बुलाय जाने की कहने पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 334 को डीवीआर देकर परिवादी से सम्पर्क कर वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु रवाना किया। बाद सत्यापन परिवादी एवं श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 334 कार्यालय उपस्थित आये तथा परिवादी ने डीवीआर सुपुर्द करते हुए बताया कि मेरे द्वारा आपको फोन करने पर आपने देवेन्द्र सिंह जी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के साथ मेरे पास भेजा तो देवेन्द्र जी मुझे बिडला मंदिर के पास मिल गये। जहां देवेन्द्र सिंह जी के मेरे पास पहुंचने से कुछ समय पहले ही अरूण प्रताप जी का मेरे पास फोन आया तथा मुझे कहा कि आप कहा हो तो मैंने कह दिया कि मैं दुलर्भ जी अस्पताल के पास हूं तब अरूण जी ने कहा कि अभी दो मिनिट में मोती डूंगरी के सामने तख्तेशाही रोड जो आरबीआई की ओर जाती है वहा मिलो, साहब भी वहीं आ रहें है। श्री देवेन्द्र सिंह जी ने मुझे रिकॉर्डर ऑन करके सुपुर्द किया जिसे मैंने जेब में रख लिया तथा वहां से रवाना होकर तख्तेशाही रोड पर गया तथा मेरे पीछे पीछे श्री देवेन्द्र सिंह जी भी अपनी मोटरसाइकिल से आ गया। तख्तेशाही रोड़ पर एक पेड के नीचे मुझे डीआर साहब एवं अरूण प्रताप जी मिले जहां मेरे आफिस की सील खोलने एवं रिश्वत राशि के पैसो के संबंध में वार्तालाप हुई। बातचीत के दौरान श्री देशराज जी डीआर साहब ने कहा कि अफसरो की मीटिंग होने दो, आपके आफिस की सील खोल देंगे इस पर मेरे द्वारा रिश्वत राशि के संबंध में बात करने पर डीआर साहब ने कहा कि बोलो मत कोई सुन लेगा कोई रिकॉर्ड कर लेगा अपने पहले 15 लाख की बात हुई थी अब आप दस लाख रूपये आज ही ओर दे दो। इस पर मैंने निवेदन किया कि मुझे पैसो की व्यवस्था करने के लिए एक–दो दिन का टाइम दो। इस पर डीआर साहब ने अरूण प्रताप जी को कहा कि आप बात कर लो और संभाल लो मैं चलता हू। इसके बाद डीआर साहब चले गये तथा अरूण प्रताप जी मुझे अपनी कार में बिठा लिया और कहा कि पैसे की व्यवस्था आज ही कर दो। इस बातचीत दौराने ही डीआर साहब का अरूण प्रताप जी के फोन पर कॉल आया तो बात करके अरूण जी ने कहा कि डीआर साहब कह रहे है कि अर्जेण्ट है आप पैसो की व्यवस्था आज ही करो। इसके बाद पुनः फोन आया जिसे सुनकर अरूण जी ने कहा कि साहब दुबारा कह रहे है पैसो की व्यवस्था आज ही करो। इस पर मैंने निवेदन किया कि एक दो दिन का टाइम दो, व्यवस्था करनी पडेगी। जिसपर अरूण जी ने कहा कि कल दो बजे तक कर दो, व्यवस्था होने के बाद मुझे बता दूंगा, मैं आपके ऑफिस आ जाउंगा। इसके बाद मैंने रिकॉर्डर बंद करके श्री देवेन्द्र सिंह जी को दे दिया और दोनो वापस आ गये। परिवादी द्वारा पेश डीवीआर में रिकॉर्डेड वार्ता को सुनने पर परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई, संदिग्ध अधिकारी श्री देशराज, उप रजिस्ट्रार एवं श्री अरूण प्रताप द्वारा परिवादी से 15,00,000/–रूप्ये रिश्वत की मांग करते हुए पूर्व में 5,00,000/–रूप्ये प्राप्त किये जाकर शेष 10,00,000/–रूप्ये ओर मांग कर कल दिनांक 11.07.2023 को दो बजे से तक देना तय होने की पुष्टि वार्तालाप से हुई। परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारियों के मध्य रिश्वत राशि मांग के संबंध में हुई वार्ताओं जो डीवीआर में रिकॉर्ड होकर सुरक्षित है, की आईन्दा गवाहान के समक्ष ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी। डीवीआर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। परिवादी के कथनों एवं रिकॉर्डेड वार्तालाप से संदिग्ध अधिकारियों द्वारा रिश्वत राशि कल दिनांक 11.07.2023 को लेना तय होने से ट्रैप कार्यवाही का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला को संदिग्ध अधिकारियों द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि दस लाख रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 11.07.2023 को कार्यालय समय पर उपस्थित होने की समझाईश कर रवाना किया। ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से ईकाई हाजा द्वारा पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान सर्वश्री कृष्ण कुमार राजावत पुत्र श्री किरण सिंह जाति राजपुत उम्र–45 वर्ष निवासी–ग्राम गोलाकाबास तहसील राजगढ जिला अलवर हाल–निरीक्षक कार्यालय रिकॉर्ड रूम, भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर मोबाईल नम्बर–98282–65333 व श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री रामअवतार जाति–कुम्हार उम्र–25 वर्ष निवासी–ईदगाह कॉलोनी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल–निरीक्षक कार्यालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी–पंचम,जयपुर मोबाईल नम्बर–7737490415 को जरिये दूरभाष वार्ताकर कल दिनांक 11.07.2023 को कार्यालय समय पर एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए।

दिनांक 11.07.2023 को पूर्व से पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं स्टाफ कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला कार्यालय में उपस्थित हुआ एवं बताया कि संदिग्ध

अधिकारियों द्वारा मेरे से आज दस लाख रूपये की रिश्वत राशि लेकर बुलाया है लेकिन मेरे से केवल 5,00,000/–रूपयों की ही व्यवस्था हो पायी है। मैं उनको पांच लाख रूपये देकर शेष पांच लाख रूपये एक दो दिन में देने के लिए निवेदन कर लूंगा। रिश्वत में दिये जाने वाली पांच लाख रूपये की राशि मैं साथ लेकर आया हूं। इसके बाद दोनों गवाहान को मन निरीक्षक पुलिस ने अपने कक्ष में बुलाया तथा उनका परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला से परिचय करवाकर परिवादी की शिकायत से अवगत कराते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़वाया गया। दोनों गवाहान को परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी श्री अरूण प्रताप व श्री देशराज, उप रजिस्ट्रार से रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में हुई वार्ताओं को सुनाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी का प्रार्थना पत्र पढ़कर, वार्ताओं को सुनकर तथा परिवादी से बातचीत करके उसकी शिकायत से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छा से ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की एवं परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। डीवीआर में रिकॉर्ड वार्ताओं की आईन्दा परिवादी एवं गवाहान के समक्ष ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की करने हेतु सुरक्षित रखा। इसके बाद समय 11.00एएम पर समक्ष परिवादी नील कमल शुक्ला से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपीगण श्री अरूण प्रताप एवं श्री देशराज यादव को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के संबंध में कहा गया तो परिवादी श्री नील कमल शुक्ला ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 5,00,000/–रूपये (भारतीय प्रचलित मुद्रा) के पांच–पांच सौ रूपये के 1000 नोट कुल राशि 5,00,000/–रूपये (पॉच लाख रूपये, फर्द पेशकशी में उल्लेखित विवरणानुसार) निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार सही पाये गये। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त रिश्वत राशि पांच–पांच सौ रूपये के 1000 नोट कुल राशि 5,00,000/–रूपये के नोटों पर श्रीमती निधि म. कानि.नं.86 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री सुन्दर सिंह से परिवादी श्री नील कमल शुक्ला की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल फोन व गाड़ी की चाबी के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि पांच–पांच सौ रूपये के 1000 नोट कुल राशि 5,00,000/–रूपये संदिग्ध अधिकारीगण/कर्मचारी को देने हेतु एक प्लास्टिक की नीले रंग की पॉलीथीन में रखकर पॉलीथीन पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी के पास एक कपड़े के बैग भूरे एवं ग्रे कलर के में रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को तब तक नहीं छुयेगा जब तक कि रिश्वत मांगने वाला अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावे, दूर से ही अभिवादन कर लेवें। संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् पुलिस निरक्षक के मोबाइल नम्बर 9829223391 पर मिसकॉल/फोन कर तथा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करे। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करे। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 के हाथों क अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में यह पाउडर लग जायेगा और इस प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी जलाकर नष्ट किया गया तथा श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैपपार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैपबॉक्स में रखी खाली शीशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी को निर्देश दिये गये कि मोबाईल फोन को अपने शर्ट के उपर के जेब में रखे आवश्यकता पडने पर ही अपने फोन से बात करें। परिवादी को संदिग्ध अधिकारी व उसके मध्य रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाल वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर रिश्वत मांग सत्यापन के वक्त काम में लिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया था को बाहर निकालकर सुपुर्द किया गया तथा श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 को कार्यालय में रहने की हिदायत

मुनासिब की गई।उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 11.07.2023 को समय 1.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला को श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 334 के साथ बाद हिदायत उसकी कार नम्बर आरजे 45 सीडी 8739 से परिवादी के कार्यालय श्री राधा गोविन्द कॉलोनाईजर्स राजापार्क जयपुर को रवाना कर श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रमजान अली, कानि.466, श्री विनोद कुमार कानि. 242 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, मिनी सचिवालय, जयपुर तथा श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक मय श्री पन्ना लाल कानि.09, श्री मनीष सिंह, कानि.486 मय सरकारी वाहनों मय चालकों के ब्यूरो मुख्यालय, जयपुर से अग्रिम कार्यवाही में सहायतार्थ हेतु कार्यालय उप रजिस्ट्रार संस्थाऐं, देव नगर टोंक जयपुर हेतु रवाना हुये तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान मय कानि. श्री अमित ढाका कानि 489 श्री रोशन लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय सरकारी वाहन मय चालक मय प्रिंटर, कागज एवं ट्रेप बॉक्स, दो पीने के पानी की भरी हुई बोतल आदि साजो सामान के वास्ते अग्रिम कार्यवाही के लिये ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से परिवादी के कार्यालय श्री राधा गोविन्द कॉलोनाईजर्स राजापार्क जयपुर हेतु रवाना होकर परिवादी के कार्यालय श्री राधा गोविन्द कॉलोनाईजर्स राजापार्क जयपुर पहुॅचा, जहॉ पर परिवादी एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि.334 उपस्थित मिले। जिस पर मन् निरीक्षक द्वारा परिवादी को संदिग्ध आरोपी को फोन करने की कहकर कहा की संदिग्ध अधिकारी को बतायें की मैं मेरे कार्यालय पर आ गया हूँ। तत्पश्चात परिवादी द्वारा संदिग्ध अधिकारी को कॉल करने व उक्त कॉल को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की कहने पर परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध अधिकारी श्री अरूण प्रताप को व्हाटसएप कॉल किया लेकिन संदिग्ध अधिकारी ने कॉल नहीं उठाया जिस पर परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द किया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत की अब संदिग्ध अधिकारी को कॉल नहीं करें यदि संदिग्ध अधिकारी का कॉल आता है तो उसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्ड करें व संदिग्ध अधिकारी द्वारा आपको कहॉ बुलाता है मन् पुलिस निरीक्षक को तुरन्त सूचित करें। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाप्ता एवं स्वतंत्र गवाहान परिवादी के कार्यालय के आस–पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम हुआ। समय करीब 2.20पीएम पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया की संदिग्ध अधिकारी श्री अरूण प्रताप ने मुझे जनता स्टोर,गांधीनगर जयपुर के पास मिलने को कहा है। जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर श्री देवेन्द्र सिंह कानि.334 के साथ जनता स्टोर, गांधीनगर जयपुर पहुॅचने हेतु रवाना कर परिवादी के पीछे–पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाप्ता एवं स्वतंत्र गवाहान के जनता स्टोर, गांधीनगर जयपुर को रवाना हुआ एवं श्री सज्जन कुमार,पु.नि.मय हमराहियान जाप्ते को भी जनता स्टोर, गांधी नगर पहुॅचने की हिदायत की। समय करीब 2.40 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी के कार्यालय श्री राधा गोविन्द कॉलोनाईजर्स राजापार्क जयपुर से रवाना होकर जनता स्टोर, गांधीनगर पुलिस थाना के पास पहुॅचा, जहॉ पर परिवादी एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि.334 उपस्थित मिले। जिन्हे संदिग्ध अधिकारी के आने का इन्तजार करने एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करने की हिदायत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता एवं स्वतंत्र गवाहन को परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय होने वार्ता को सुनने तथा देखने का प्रयास करने की हिदायत की गई, मन् निरीक्षक पुलिस भी अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय होने वार्ता को सुनने तथा देखने का प्रयास करने हेतु परिवादी की कार के आस–पास मुकिम हुआ। इसके बाद समय करीब 2.55पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस मय स्टाफ श्री अमित ढ़ाका, कानि0 489 एवं श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 334 दोनों गवाहान के राजस्थान विश्वविधालय के सामने स्थित जनता स्टोर के सामने मुकिम खडा हूं तथा परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला अपनी निजी कार जीप में बैठा हुआ है, के पास एक चैक की शर्ट पहने व्यक्ति आया एवं परिवादी की कार में बैठ गया। उक्त व्यक्ति ने परिवादी की कार में बैठकर परिवादी से बातचीत करने लगा तथा परिवादी से रिश्वती राशि की थैली लेकर गाडी से उतर कर सामने खड़ी अपनी कार एस–क्रोस नम्बर आरजे–14–डब्ल्यूसी–6842 की ओर जाने लगा, जिस पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उक्त व्यक्ति के पास पहुंच कर उसे रोका तथा उसे अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुए उसका परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति घबरा गया एवं कुछ नहीं बोला। इस पर मन निरीक्षक पुलिस ने पुनः तसल्ली देकर उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अरूण प्रताप सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, जाति राजपूत, उम्र 50 साल, निवासी फ्लेट नम्बर–808, आशियाना ग्रीनवुड अपार्टमेंट, सीबीआई फाटक के सामने, जगतपुरा जयपुर हाल निरीक्षक, सहकारी समितियां, कार्यालय रजिस्ट्रार–संस्थाए, सहकारी समितियां, देवनगर, टोंक रोड़, जयपुर होना बताया। इसी बीच परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला भी अपनी कार से उतर कर मन निरीक्षक पुलिस के पास पहुंच गया तथा पूर्व

से पाबन्दशुदा श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक मय श्री पन्नालाल, कानि0 09 व श्री मनीष सिंह कानि0 486 मय सरकारी वाहन व चालक के पहुचें। दोनों गवाहान के समक्ष मन निरीक्षक पुलिस ने श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक को मौके पर खड़े परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला की ओर इशारा कर पूछा कि आपने अभी अभी इनसे कोई रिश्वत राशि ली है क्या ? तो श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक घबरा गये ओर इधर उधर देखने लगे। चूंकि रिश्वती राशि की थैली आरोपी के हाथ में ही पकड़ी हुई है एवं मौके पर आम सड़क होने से आवागमन होने श्री अरूण प्रताप सिंह का एक हाथ श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 334 से कलाई से पकडवाया गया। इसी समय श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मय श्री कमलेश कानि0 293 मय सरकारी वाहन व चालक के मौके पर पहुंचे। इसके बाद श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक को साथ लेकर मय हमराहीयान के पास ही स्थित पुलिस थाना गांधीनगर पहुंचा। थानाधिकारी श्री सुरेन्द्र यादव को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु स्वीकृति चाही तो उन्होंने मौखिक स्वीकृति दी। जिस पर थाना परिसर में चौक में बने स्वागत कक्ष में ले जाकर श्री अरूण प्रताप सिंह को बिठाया। श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक के हाथ में पकडी हुई रिश्वती राशि की थैली स्वतंत्र गवाह सुन्दर सिंह, निरीक्षक को दिलाई गई। इसके बाद पुलिस थाना गांधीनगर से पीने का स्वच्छ पानी मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर गवाहान एवं उपस्थित गणों के समक्ष इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया गया। सभी ने घोल को रंगहीन होना बताया। इसके बाद उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक के दाहिनें हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गंदमैला हो गया। दोनों गिलासों के धोवण को दो–दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर दाहिने हाथ की धोवण की शिशियों को मार्क–R-1 व R-2 तथा बांये हाथ की धोवण की शिशियों को मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर सीलचिट कर चिट एवं चस्पों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक को पुनः रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारें में पूछा तो उसने कहा कि मेरा इसमें कोई लेना–देना नहीं है, इनको डीआर साहब देशराज जी को पैसे देने थे, इनका कोई आपस की बात है, मुझे तो डीआर साहब ने कहा था, इसलिए मैंने ले लिये। इस पर श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक को पूछा कि डीआर साहब को किस बात के पैसे देने थे तो कहा कि मुझे पता नहीं है, मेरे पडौसी जो नीलकमल जी का मित्र है उसने सिफारिश की थी कि इनका काम करवाना है, मदद करनी है इसलिए मैंने डीआर साहब के कहने पर इनसे पैसे लिये है। इस पर श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक को पूछा कि क्या आप श्री नीलकमल शुक्ला के ऑफिस में की गई छापे एवं सील करने की कार्यवाही में शामिल थे, तो कहा कि हां मैं उस दिन कार्यवाही में शामिल था तथा मेरे अलावा करीब 40 अधिकारी/कर्मचारी ओर शामिल हुए थे। इस बाबत हमे डीआर साहब ने आदेश दिए थे। श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक के उक्त कथन का मौके पर उपस्थित परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला ने खण्डन करते हुए कहा कि श्री अरूण जी झूंठ बोल रहे हैं। दिनांक 23.06.2023 को श्री देशराज यादव, डीआर साहब मेरे पास मेरे कार्यालय पर आये तथा मुझे कहा कि आप इस ऑफिस को खाली करना है। इस ऑफिस को खाली करने के खिलाफ मैंने न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा था। तब दिनांक 24.06.2023 को डीआर साहब के निर्देश पर टीम ने मेरे आफिस एवं मेरे निवास स्थान पर छापा मारकर माननीय न्यायालय का यथास्थिति का आदेश होते हुए मेरे ऑफिस का ताला तोड दिया तथा दो कमरों को सीज कर दिया। इसके बाद मैंने देशराज जी से स्थगन आदेश बताकर निवेदन किया तो उन्होंने मुझे अरूण प्रताप सिंह जी से बात करने के लिए कहा जिस पर मैंने अरूण प्रताप जी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि पचास लाख रूपये लगेंगे जिस पर मैंने कहा कि इतने पैसे नहीं है आप चाहे पूरा ऑफिस सीज कर दो। इस पर उन्होंने कहा कि डीआर साहब 15 लाख रूपये के लिए कह रहे है। इस पर मैंने कहा कि अभी तो नहीं तो मुझे कहा कि आपके पास कितने है। इस पर मैंने पांच लाख रूपये के लिए कहा तब श्री अरूण प्रताप सिंह जी ने अपने परिचित को पांच लाख रूपये दिलवा दिये तथा मुझे कहा कि बाकी के 10 लाख रूपये की व्यवस्था कर लेना। इसके बाद दिनांक 10.07.2023 को श्री अरूण प्रताप सिंह जी ने मुझे डीआर साहब श्री देशराज जी से मिलवाया तथा मेरे ऑफिस की सील खोलने की एवज में 10.00लाख रूपये ओर देने की बातचीत करते हुए आज दस लाख रूपये दो बजे तक लेकर बुलाया था, जिस पर मैंने श्री अरूण प्रताप जी को अभी फोन किया तो इन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, कुछ देर बार अरूण प्रताप जी ने मुझे वाट्सअप कॉल करके कहा कि आप जनता स्टोर आ जाओ, मैं वहा आ रहा हूँ। इस पर मैं अभी अपनी कार से जनता स्टोर पहुंचा तथा वहां पर अरूण प्रताप जी के मिलने पर इन्होंने मेरी गाडी में बैठकर बात की तब मैंने इनको मेरे आफिस की सील खुलवाने के लिए निवेदन किया तो इन्होंने पैसो के लिए पूछा तो मैंने इन्हें पांच लाख रूपये जो कि नीले रंग की थैली में रखे थे दे दिए, तब इन्होंने

कहा कि कितने है, तो मैंने कहा कि पांच लाख रूपये है, बाकी के पांच लाख कल शाम तक दे दूंगा। इस पर इन्होंने रूपयो की थैली अपने हाथ में लेकर कहा कि आपके ऑफिस की सील अगले वीक तक खोल देंगे। इसके बाद यह रूपये लेकर गाडी से बाहर चले गये जहां आपने इनको रोक लिया था। परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला के उक्त कथन पर श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक कुछ नहीं बोले एवं गर्दन नीचे कर ली। चूंकि श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक द्वारा श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार के लिए रिश्वत राशि लिया जाना बताया गया है तथा श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार को डिटेन करने हेतु पूर्व से श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस को निवेदन किया गया था, जिनके द्वारा श्री देशराज यादव को लेकर एसीबी कार्यालय में लेकर आने को कहा गया है। परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि के सम्बन्ध में श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक एवं श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार का आमना–सामना करवाया जाकर पूछताछ की जानी है, इसलिए आगे की कार्यवाही एवं लिखा–पढी किये जाने के लिए मन निरीक्षक पुलिस मय धोवण की शिशियां एवं रिश्वती राशि की थैली गवाह श्री सुन्दर सिंह के हाथ में है, ट्रैप बॉक्स एवं हमराह जाप्ता, परिवादी एवं श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक को साथ लेकर तथा श्री अरूण प्रताप सिंह की एस–कास कार श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 334 से चलवा कर उसके साथ गवाह श्री कृष्ण कुमार राजावत, निरीक्षक को बैठाकर हमराह लेकर पुलिस थाना गांधी नगर से रवाना होकर एसीबी कार्यालय जयपुर पहुंचा। श्री अरूण प्रताप सिंह की कार को सुरक्षार्थ एसीबी कार्यालय में खड़ी करवायी। श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक को कक्ष में बिठाया गया। इसके बाद कार्यालय में गवाह श्री सुन्दर सिंह के पास सुरक्षित रखी रिश्वती राशि की थैली को खोल कर दिखवाये जाने पर गवाह ने थैली में से पांच–पांच सौ रूपयों की दस गड्डीया निकाल कर पेश की। उक्त पांच–पांच सौ रूपयों की दस गड्डीयों के नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहान से फर्द पेशकसी से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने पांच –पांच सौ रूपये के 1000 नोट कुल 5,00,000/–रूपये होना बताते हुए सभी नोटों के नम्बर हूबहू होना बताया। उक्त बरामदशुदा रिश्वती राशि 5,00,000/–रूपये के नोटो की गड्डियों एवं प्लास्टिक की थैली को पांच बण्डलों में सिलकर सीलचिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इस समय कार्यवाही के दौरान श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय में उपस्थित हुए एवं श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार को मन निरीक्षक पुलिस के समक्ष पेश किया। श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार को कार्यालय में बिठाया गया एवं परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम देशराज यादव पुत्र श्री रामजी लाल यादव, उम्र 52 साल, जाति यादव, निवासी मकान नम्बर–15, सरस्वती नगर–ए, मालवीय नगर, जयपुर हाल उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर शहर, मिनीसचिवालय, जयपुर होना बताया। श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार को परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला से श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक के मार्फत ली गई रिश्वती राशि के सम्बन्ध में पूछा तो कहा कि मुझे पता नहीं है कि अरूण प्रताप सिंह ने नीलकमल शुक्ला से किस बात के पैसे लिये है। यह तो अरूण प्रताप सिंह जी ही बता सकते है। इस पर श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार को पूछा कि आपके एवं श्री नीलकमल शुक्ला के बीच कल दिनांक 10.07.2023 को श्री अरूण प्रताप सिंह, के साथ क्या वार्तालाप हुई थी, तो कहा कि कल हम कल मिले थे हमारे बीच वैसे ही हंसी मजाक में बातचीत हो रही थी, इनके ऑफिस सीज से संबंधी बातचीत हुई थी। मैंने इनसे कोई रिश्वत की मांग नहीं की थी। इसके बाद श्री देशराज यादव ,उप रजिस्ट्रार को पूछा गया कि दिनांक 24.06.2023 को भी परिवादी के आफिस सीज करने के बाद आपसे मिलने पर आपने श्री अरूण प्रताप सिंह से बातचीत कर मामला निपटाने के लिए कहा था, तो कहा कि मेरी इनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसके बाद श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार को परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला से सम्बन्धित श्री राधा गोविन्द कॉलोनाईजर्स के पंचवटी सर्किल के पास स्थित कार्यालय को सीज किये जाने से संबंधित पत्रावली के लिए पूछा गया तो कहा कि पत्रावली हमारे कार्यालय में स्टाफ के पास होगी। इसके बाद मौके पर उपस्थित परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला, श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक एवं श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार को एक जगह बैठाकर तीनों का आमना सामना करवाया जाकर रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक ने अपने पूर्व के कथनों को दोहराते हुए कहा कि नीलकमल जी और देशराज जी के बीच कोई बात हुई थी, देशराज जी की कालेज में काम चलता रहता है, जिसमें पैसो की आवश्यकता थी, इसलिए देशराज जी ने नीलकमल से उधार मांगे थे, नीलकमल जी का देशराज जी पर विश्वास कम होगा इसलिए इन्होंने मुझे मदद करने के लिए कहा तो मैंने देशराज जी को देने के लिए एवं नीलकमल जी की मदद करने के लिए इनसे पैसे ले लिए। मेरी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। इन दोनों का ही मैटर है मैने तो कैरियर का काम किया है। इसके बाद इस संबंध में श्री देशराज यादव से पूछने पर पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर कहा कि हां कल मिले थे, मै तो जेडीए से निकला था, हम तो कई बार मिलते रहते है और हंसी मजाक में बात करते रहते है, मजाक में कोई पैसो की बात कह दी होगी तो पता नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही मजाक में बात करते रहते है, मैने इनको कोई फोन नहीं किया। इसके बाद श्री अरूण प्रताप सिंह को पूछा कि आपका इस बारे में क्या कहना है तो कहा कि इन्होंने पैसो की बात की थी

इसलिए ले लिये, बाकी मुझे पता नहीं है। इस पर परिवादी को पूछने पर उसने अपने पूर्व के कथनों को दोहराते हुए स्वयं के श्री राधा गोविन्द कॉलोनाईजर्स ऑफिस को न्यायालय का स्थगन होने के बावजूद सीज करने, उसकी सील खोलने के लिए 24.06.2023 को श्री देशराज जी के कहने पर अरूण प्रताप जी से बातचीत कर उनके मांगने पर उनके परिचित के मार्फत 5.00लाख रूपये पहुंचाने तथा 15 लाख रूपये में शेष 10.00लाख रूपये की राशि कल दिनांक 10.07.2023 को हुई वार्तालाप के अनुशरण में आज श्री अरूण प्रताप सिंह को 5.00लाख रूपये देना बताया। परिवादी के उक्त कथन पर दोनों आरोपीगण चुप हो गये। उक्त आमना सामना की पृथक से फर्द आमना सामना तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात गवाह श्री कृष्ण कुमार राजावत से आरोपीगण श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक एवं श्री देशराज यादव की बारी–बारी से जामा तलाशी लिवाई गई तो श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक की जामा तलाशी में एक वन–प्लस का मोबाइल हैण्डसेट एवं एक एप्पल कम्पनी का मोबाइल हैण्डसेट मिला। जिसमें वन–प्लस के हैण्डसेट में मोबाइल नम्बर–9929702213, आईएमईआई नम्बर–1–86180304917011 एवं नम्बर–2– 861803049170611 पासवर्ड–6200 तथा एप्पल हैण्डसेट में सिम नम्बर–9829422213 एवं आईएमईआई नम्बर–1–353346549223592 एवं नम्बर–2– 53346548502954 व पासवर्ड 62008 है। इसी प्रकार श्री देशराज यादव के पास भी दो मोबाइल हैण्डसेट जिनमें एक गेलेक्सी–एस–21एफई 5जी जिसमें मोबाइल नम्बर– 7821064556 एवं आईएमईआई नम्बर–1–356350643567729 एवं नम्बर–2– 358259363567728 एवं पासवर्ड नही है तथा दूसरा एप्पल–14 प्लस हैण्डसेट जिसके मोबाइल नम्बर 6377609754 एवं आईएमईआई नम्बर–1–353346541104360 एवं नम्बर–2– 353346541001947 एवं पासवर्ड 2106 है। उक्त मोबाइल में आरोपी श्री अरूण प्रताप सिंह के एप्पल हैण्डसेट में देखने पर उससे परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला एवं आरोपी श्री देशराज यादव को वाट्सअप काल एवं सिम से काल किया हुआ पाया गया तथा आरोपी श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार के मोबाइल पर भी आरोपी श्री अरूण प्रताप सिंह निरीक्षक से वाट्सअप व सिम से वार्ता होना पाया गया। सभी मोबाइल फोन को सुरक्षार्थ कब्जा एसीबी लेकर आलमारी में रखा गया। आरोपीगण को दोनों गवाहान के समक्ष उनकी नमूना आवाज वास्ते परीक्षण उपलब्ध कराने हेतु कहा गया लेकिन दोनों आरोपीगण ने अपनी नमूना आवाज वास्ते परीक्षण उपलब्ध कराने से इन्कार किया, जिसकी फर्द प्राप्ति नमूना आवाज पृथक–पृथक तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

अब तक की कार्यवाही से देशराज यादव पुत्र श्री रामजी लाल यादव, उम्र 52 साल, जाति यादव, निवासी मकान नम्बर–15, सरस्वती नगर–ए, मालवीय नगर, जयपुर हाल उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर शहर, मिनीसचिवालय, जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने अधीनस्थ अधिकारी श्री अरूण प्रताप सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, जाति राजपूत, उम्र 50 साल, निवासी फ्लेट नम्बर–808, आशियाना ग्रीनवुड अपार्टमेंट, सीबीआई फाटक के सामने, जगतपुरा जयपुर हाल निरीक्षक, सहकारी समितियां, कार्यालय रजिस्ट्रार–संस्थाए, सहकारी समितियां, देवनगर, टोंक रोड़, जयपुर के साथ मिलकर आपसी षड़यंत्र रचकर परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला की श्री राधा गोविन्द कॉलोनाईजर्स के पंचवटी सर्किल के पास स्थित सोसायटी के ऑफिस को न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के बावजूद परिवादी के कार्यालय एवं निवास स्थान पर छापा मारकर आफिस का ताला तोड़ कर दो कमरों को सील कर दिया गया तथा परिवादी द्वारा स्थगन आदेश का हवाला देते हुए सील खोलने का निवेदन करने पर परिवादी के ऑफिस की सील खोलने की कार्यवाही करने की एवज में स्वयं द्वारा एवं श्री अरूण प्रताप सिंह के मार्फत 15.00लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर 5.00लाख रूपये दिनांक 24.06.2023 को श्री अरूण प्रताप सिंह द्वारा अपने परिचित के मार्फत प्राप्त कर लेना तथा शेषराशि 10.00लाख रूपये का तकाजा कर दिनांक 10.7.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान वार्तालाप कर दिनांक 11.07.2023 को 5.00लाख रूपये श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक द्वारा प्राप्त किये जाने पर मौके से बरामद होना प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए एवं 11, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) एवं 120बी भारतीय दण्ड सहिंता में कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीगण को जुर्म से आगाह कर पृथक–पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

इसके पश्चात श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक की कार एस–कास जो कि एसीबी कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ खड़ी करवाई गई है, की तलाशी दोनों गवाहान एवं श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक के समक्ष ली गई तो गाडी की डिक्की में रखी एक थैली में श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 की शिव विहार–ए स्कीम के भूखण्ड संख्या ए–8 क्षेत्रफल 111.11वर्गगज की रसीद, साईट प्लान एवं आवंटन पत्र मिला, जो सोसायटी के मंत्री श्री प्रदीप पचारिया की सील व हस्ताक्षर से दिनांक 05.04.2023 को मोहम्मद रोशन पुत्र लाल खान से रहमतुल्ला मदानी को स्थानान्तरित है एवं एक अहस्ताक्षरित शपथ पत्र रहमतुल्ला मदानी 50/–रूपये के स्टाम्प पर है तथा बाबा आर.एन.गौड गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर की ग्रीन पार्क विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या 34 क्षेत्रफल 162.75वर्गगज का आवंटन पत्र दिनांक 07.04.1997 श्रीमती पार्वती देवी, रसीद

नम्बर 7791, साईट प्लान तथा उक्त भूखण्ड के बेचान व खरीद के शथप पत्र, पार्वती देवी व रूपाराम के प्रार्थनापत्र, पार्वतीदेवी के आधार कार्ड की प्रतियां है तथा 500–500 सौ रूपये के नोटों की दो गड्डिया मिली। गवाहान से उक्त गड्डिया गिनवाने पर एक गड्डी में 50,000/–रूपये तथा दूसरी में 25,000/–रूपये कुल 75,000/–रूपये पाए गए। उक्त राशि के संबंध में पूछने पर श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक ने कहा कि मदानी तथा रूपाराम के नाम सोसायटी का पट्टा ट्रांसफर करवाने के लिए उक्त राशि श्री भागचंद जैन व आरिफ मदानी ने पांच–सात दिन पहले दी थी। रूपाराम कौन है नहीं जानता हूं, रहमतुल्ला आरिफ मदानी का भाई है। किसने कितने पैसे दिए थे याद नहीं है। इस पर आरिफ मदानी के मोबाइल नम्बर 94143–96746 पर कॉल किया तो फोन नहीं उठाया। श्री भागचंद जैन के मोबाइल नम्बर 98291–31840 पर कॉल किया तो उनकी बेटी ने थोडी देर बाद बात कराना कहा, थोडी देर बाद भागचंद जैन ने मोबाइल फोन पर वार्ता की। मन पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर श्री अरूण प्रताप सिंह से परिचित होना पूछा तो कहा कि अरूण जी कॉपरेटिव इन्सपेक्टर है तथा मैं आडिट का काम करता हूं। पार्वती देवी व रूपाराम के पट्टा ट्रांसफर करवाने बाबत व धनराशि देने बाबत पूछा तो पहले तो आनाकानी की फिर कहा कि याद नहीं है, कितने रूपये दिये थे और यह धनराशि उसे किसने दी थी। श्री भागचंद जैन व अरूण प्रताप सिंह से उक्त राशि बाबत कोई रसीद हो तो बताने की कहने पर दोनों ने ही इंकार किया। धनराशि के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने से प्रथम दृष्टया उक्त धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती है। संदिग्ध राशि 75,000/–रू0 को पृथक से जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। श्री अरूण प्रताप सिंह के कहेनुसार गाडी की चाबी उसके भाई श्री मानसिंह को सुपुर्द की जावेगी। पट्टा ट्रांसफर की उक्त दोनों पत्रावली संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रैपकार्यवाही के दौरान जब्तशुदा माल वजह सबूत सुरक्षित ट्रैप बॉक्स में रखवाया गया। उपरोक्त कार्यवाही की ब्यूरो कार्यालय में फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 12.07.2023 को मन निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान के घटना स्थल पर पहुंच कर घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्शा मौका मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला एवं दोनों को गवाहान के समक्ष रिश्वती राशि मांग के गोपनीय सत्यापन की दिनांक 04.07.2023 को आरोपी श्री देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार से हुई वार्ता, श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक से हुई मोबाइल वार्ता, दिनांक 05.07.2023 को आरोपी श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक एवं परिवादी श्री नीलकमल के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताए एवं दिनांक 10.07.2023 को दोनों आरोपीगण एवं परिवादी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्तालाप तथा दिनांक 11.07.2023 को आरोपी श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक एवं परिवादी के मध्य रिश्वत राशि लेकर जनता स्टोर पर बुलाए जाने हेतु हुई मोबाइल वार्ता एवं रिश्वत के आदान–प्रदान के समय हुई सभी वार्ताओं को सुना जाकर उनकी ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। उक्त वार्ताओं की सी.डी. तैयार कर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए। उक्त वार्ताओं को सुनकर परिवादी श्री नीलकमल ने स्वयं एवं दोनों आरोपीगण की आवाज की पहचान की। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं आदान–प्रदान तैयार कर रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय काम में लिया गया मेमोरी कार्ड जप्त किया गया। फर्दात् पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल,रिश्वत राशि लेन देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला पुत्र श्री श्याम बिहारी, जाति ब्राहम्ण, उम्र 54 साल निवासी मकान नम्बर 1434, क–1, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर से आरोपी श्री देशराज यादव पुत्र श्री रामजी लाल यादव, उम्र 52 साल, जाति यादव, निवासी मकान नम्बर–15, सरस्वती नगर–ए, मालवीय नगर, जयपुर हाल उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर शहर, मिनीसचिवालय, जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने अधीनस्थ अधिकारी श्री अरूण प्रताप सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, जाति राजपूत, उम्र 50 साल, निवासी फ्लेट नम्बर–808, आशियाना ग्रीनवुड अपार्टमेंट, सीबीआई फाटक के सामने, जगतपुरा जयपुर हाल निरीक्षक, सहकारी समितियां, कार्यालय रजिस्ट्रार–संस्थाए, सहकारी समितियां, देवनगर, टोंक रोड़, जयपुर के साथ मिलकर आपसी षड़यंत्र रचकर परिवादी श्री नीलकमल शुक्ला की श्री राधा गोविन्द कॉलोनाईजर्स के पंचवटी सर्किल के पास स्थित ऑफिस को न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के बावजूद परिवादी की सोसायटी कार्यालय एवं निवास स्थान पर छापा मारकर आफिस का ताला तोड़ कर दो कमरों को सील कर दिया गया तथा परिवादी द्वारा स्थगन आदेश का हवाला देते हुए सील खोलने का निवेदन करने पर परिवादी के ऑफिस की सील खोलने की कार्यवाही करने की एवज में स्वयं द्वारा एवं श्री अरूण प्रताप सिंह के मार्फत 15.00लाख रूपये की

रिश्वत राशि की मांग कर 5.00लाख रूपये दिनांक 24.06.2023 को श्री अरूण प्रताप सिंह द्वारा अपने परिचित के मार्फत प्राप्त कर लेना तथा शेषराशि 10.00लाख रूपये का तकाजा कर दिनांक 10.7.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान वार्तालाप कर दिनांक 11.07.2023 को 5.00लाख रूपये श्री अरूण प्रताप सिंह, निरीक्षक द्वारा प्राप्त किये जाने पर मौके से बरामद होना प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए एवं 11, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) एवं 120बी भारतीय दण्ड सहिंता में कारित किया जाना प्रमाणित पाये जाने से श्री देशराज यादव पुत्र श्री रामजी लाल यादव, उम्र 52 साल, जाति यादव, निवासी मकान नम्बर–15, सरस्वती नगर–ए, मालवीय नगर, जयपुर हाल उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर शहर, मिनीसचिवालय, जयपुर एवं श्री अरूण प्रताप सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, जाति राजपूत, उम्र 50 साल, निवासी फ्लेट नम्बर–808, आशियाना ग्रीनवुड अपार्टमेंट, सीबीआई फाटक के सामने, जगतपुरा जयपुर हाल निरीक्षक, सहकारी समितियां, कार्यालय रजिस्ट्रार–संस्थाए, सहकारी समितियां, देवनगर, टोंक रोड़, जयपुर के विरूद्व विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

(रघुवीर शरण शर्मा)
पुलिस निरीक्षक
विशेष अनुसंधान इकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री देशराज यादव पुत्र श्री रामजी लाल यादव, हाल उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, जयपुर शहर, मिनिसचिवालय जयपुर एवं 2. श्री अरूण प्रताप सिंह पुत्र श्याम सिंह हाल निरीक्षक, सहकारी समितियां, कार्यालय रजिस्ट्रार-संस्थाए, सहकारी समितियां देवनगर, टोंक रोड़, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 183/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः-2284-88 दिनांक 13.7.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) राजस्थान, जयपुर।
3. उप रजिस्ट्रार (संस्था पंजीयक), सहकारी समितियां, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।